

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

फाइल संख्या: CRL-2020-21-000031

दिनांक: 17 मार्च, 2026

24 जनवरी, 2026 को या उसके बाद जारी आरसीएसी में शिपमेंट की वैधता बढ़ाने और गंतव्य बंदरगाह में परिवर्तन पर परिपत्र के संबंध में।

संदर्भ: बासमती चावल के निर्यात हेतु अनुबंधों के ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में व्यापार सूचना संख्या APEDA-CRL/27/2024-CD दिनांक 1 अक्टूबर, 2025।

प्रिय निर्यातकों,

बासमती चावल के लिए पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण पत्र (आरसीएसी) जारी करने के संबंध में मौजूदा व्यापार सूचना (ऊपर उद्धृत) के अनुसार, वर्तमान में आरसीएसी जारी होने की तिथि से 45 दिनों तक शिपमेंट की वैधता के साथ जारी किया जाता है।

वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स को प्रभावित करने वाले मौजूदा भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के आलोक में, तथा निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने और मध्य पूर्व में व्याप्त वर्तमान भू-राजनीतिक स्थितियों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि 24 जनवरी, 2026 को या उसके बाद जारी किए गए आरसीएसी की वैधता को उनके जारी होने की तारीख से 45 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अनुरोध के आधार पर गंतव्य बंदरगाह में एक बार परिवर्तन करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जो निर्यातक इन प्रावधानों का लाभ उठाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन पोर्टल पर "संशोधन (Amendment)" अनुभाग के अंतर्गत आवश्यक विवरण और/या सहायक दस्तावेजों (जहाँ लागू हो) के साथ अपना अनुरोध जमा कर सकते हैं। आरसीएसी जारी करने की अन्य सभी शर्तें और प्रक्रियाएं अपरिवर्तित रहेंगी।

विनीता सुधांशु

महाप्रबंधक